झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

सी0एम0पी0 संख्या–192 / 2019

मो0 सलीम अंसारी .....याचिकाकर्त्ता

बनाम्

भारत संघ एवं अन्य ..... विपक्षीगण

कोरमः **माननीय न्यायमूर्ति श्री अपरेश कुमार सिंह**

याचिकाकर्त्ता के लिए : कोई नहीं

विपक्षीगण के लिए : श्री गौतम राकेश, अधिवक्ता

03 / 09.08.2019 याचिकाकर्त्ता डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0–6014 / 2017 की पुनःस्थापन चाहता है, जिसे 26 सितंबर, 2018 को निर्धारित समय के भीतर बचे हुए त्रुटियों को दूर करने में विफलता पर, अनुल्लंघनीय आदेश का पालन न करने के लिए खारिज कर दिया गया।

याचिकाकर्त्ता ने आग्रह किया है कि आदेश का अनुपालन निर्धारित समय के भीतर नहीं किया जा सकता है क्योंकि याचिकाकर्त्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान अधिवक्ता अपने व्यक्तिगत कारणों से उक्त तिथ को प्रतिनिधित्व न कर सके। हालांकि, याचिकाकर्त्ता को अपूरणीय क्षति होगी यदि रिट याचिका को पुनःस्थापित नहीं किया जाता है क्योंकि उसमें सेवानिवृति के बाद के लाभों से संबंधित शिकायत उठाई गई है।

विपरीत पक्ष–रेलवे के लिए विद्वान अधिवक्ता प्रार्थना का विरोध नहीं करते हैं।

आग्रह किए गए आधारों के मद्देनजर, डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0–6014 / 2017को इसकी मूल फाइल में पुनःस्थापित किया जाए।

तद्नुसार, इस सी0एम0पी0 का निपटान किया जाता है।

(अपरेश कुमार सिंह, न्याया0)